

[2023] 1 एस.सी.आर. 689

के.एल. स्वामी

बनाम

आयकर आयुक्त एवं अन्य

(सिविल अपील सं. 3704/2012)

13 जनवरी, 2023

[न्या. एम. आर. शाह और सी. टी. रविकुमार]

*आयकर अधिनियम, 1961: धारा 158ख ग, 158ख घ, 158ख च क(1) – ब्लॉक निर्धारण - किसी अन्य व्यक्ति की अघोषित आय -ब्याज की वसूली -कर निर्धारिती ने धारा 158ख घ के तहत नोटिस के जवाब में अघोषित आय को शामिल करके ब्लॉक अवधि के लिए देर से विवरणी दाखिल की। धारा 158ख ग के तहत किसी भी नोटिस का अभाव – 01.06.1999 से पहले की अवधि के लिए देयता – निर्धारण अधिकारी द्वारा धारा 158ख च क(1) के तहत ब्याज की वसूली – की स्थिरता –अभिनिर्धारण: तलाशी लिए गए व्यक्तियों के अलावा अन्य व्यक्तियों को धारा 158ख ग के तहत नोटिस के अभाव में और यहां तक कि जून 1999 से पहले की अवधि के लिए भी, धारा 158ख ग के तहत विवरणी देर से दाखिल करने पर ब्याज का भुगतान करना होगा – अध्याय **XV**वी तलाशी और जब्ती मामलों में ब्लॉक अवधि के लिए आय की गणना के लिए एक विशेष प्रक्रिया निर्धारित करता है – यह अपने आप में एक संपूर्ण*

कोड है जो ब्लॉक अवधि के लिए अघोषित आय के निर्धारण के लिए स्व-निहित तंत्र प्रदान करता है

—धारा 158ख घ, जिसके संबंध में तलाशी ली गई थी उस व्यक्ति के अलावा किसी अन्य व्यक्ति के मामले में लागू होगी। -इस प्रकार, तलाशी लिए गए व्यक्ति के अलावा अन्य व्यक्ति के मामले में धारा 158ख घ के तहत नोटिस की आवश्यकता होगी और धारा 158ख ग के तहत विवरणी देर से दाखिल करने के मामले में, धारा 158ख च क के तहत ब्याज लगाया जाएगा— कोई भी अन्य व्याख्या धारा 158ख घ को निरर्थक बना देगी — धारा 158ख घ में "धारा 158ख ग के तहत" शब्द डालकर, संसद का इरादा यह स्पष्ट करने का था कि तलाशी लिए गए व्यक्तियों के अलावा अन्य व्यक्तियों के मामले में ब्लॉक अवधि के लिए निर्धारण भी धारा 158ख ग के तहत प्रक्रिया के अनुसार होगा — मौजूदा मामले में, तलाशी लिए गए व्यक्तियों को धारा 158ख ग के तहत नोटिस जारी किया गया था और कंपनी के अपीलार्थी-निदेशक, जो "अन्य व्यक्ति" है, के मामले में धारा 158ख घ के तहत नोटिस जारी किया गया था — यह नहीं कहा जा सकता है कि वित्त अधिनियम, 2002 के माध्यम से धारा 158ख घ में संशोधन से पहले की अवधि के लिए तलाशी लिए गए व्यक्तियों के अलावा अन्य व्यक्तियों को धारा 158ख ग के तहत किसी भी नोटिस के अभाव में, धारा 158ख च क के तहत ब्याज का भुगतान करने की कोई देयता नहीं होगी।

धारा 113 परंतुक – अधिभार – की वसूली –
अभिनिर्धारण: धारा 113 के परंतुक के अंतर्गत कर निर्धारिती
अधिभार का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी नहीं है। उच्च
न्यायालय द्वारा पारित आदेश और धारा 113 के परंतुक के
तहत अधिभार के संबंध में निर्धारण आदेश को अभिखंडित
और अपास्त किया गया।

अपीलों को आंशिक रूप से स्वीकार करते हुए न्यायालय
ने

अभिनिर्धारित किया: 1. जहां तक संबंध है, आयकर
अधिनियम की धारा 113 के परंतुक के तहत अधिभार की वसूली
कर निर्धारिती के पक्ष में और राजस्व के विरुद्ध मानी जाती है।
कर निर्धारिती आयकर अधिनियम की धारा 113 के परंतुक
के अंतर्गत अधिभार का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी
नहीं है। उस हद तक, उच्च न्यायालय द्वारा पारित निर्णय और
आदेश और आयकर अधिनियम की धारा 113 के परंतुक के
अंतर्गत अधिभार के संबंध में निर्धारण आदेश को अभिखंडित
किया गया और अपास्त किया गया है। [पैरा 9.2][710-ग-
घ]

2.1 अध्याय XIV-बी जो ब्लॉक निर्धारण से संबंधित है,
इसमें तलाशी लिए गए मामलों के लिए एक विशेष प्रक्रिया
अधिकथित की गई। अधिनियम में उक्त प्रावधानों को जोड़ने का
मुख्य कारण कर चोरी पर अंकुश लगाना और ऐसे तलाशे गए
मामलों में निर्धारण में तेजी लाने के साथ-साथ उसे सरल
बनाना था। अध्याय XIV-बी के तहत नई प्रक्रिया का सार

तलाशी के परिणामस्वरूप पाई गई "अघोषित आय" का एक अलग एकल निर्धारण है और यह अलग निर्धारण उक्त अवधि को शामिल करने वाले सामान्य निर्धारण के अतिरिक्त होना चाहिए। इसलिए, ब्लॉक निर्धारण करने के लिए ब्लॉक अवधि के वर्षों को शामिल करने वाली एक अलग विवरणी एक पूर्व-अपेक्षा है। अध्याय XIV-बी अपने आप में एक पूर्ण संहिता है जो 10 वर्ष या 6 वर्ष की ब्लॉक अवधि, जैसा भी मामला हो, के लिए अघोषित आय के निर्धारण के लिए स्व-निहित तंत्र प्रदान करता है। [पैरा 10][710-च-ज]

2.2 विवरणी आदि दाखिल करने सहित ब्लॉक अवधि के लिए अघोषित आय के निर्धारण के संबंध में, आयकर अधिनियम की धारा 140 के तहत सामान्य निर्धारण कार्यवाही लागू नहीं होगी। इसलिए, कर निर्धारिती की ओर से प्रस्तुत किया गया कि 01.06.1999 से लागू धारा 140क में "धारा 158ख ग" शब्दों को शामिल करने के मद्देनजर 01.06.1999 से पहले की अवधि के लिए धारा 158ख च क के तहत ब्याज प्रभार्य नहीं होगा, स्वीकार नहीं किया जा सकता है। कर निर्धारिती की ओर से यह मामला है कि ब्याज केवल मूलधन के बाद आता है और इस मामले में मूलधन कर देय है, 01.06.1999 से पहले विवरणी के साथ कर का भुगतान करने की कोई देयता नहीं थी, जिसे धारा 140क में "धारा 158ख ग" शब्दों को शामिल करके पेश किया गया था और इसलिए यदि प्रासंगिक समय पर विवरणी के साथ कर का भुगतान करने की कोई देयता नहीं थी, तो ब्याज का भुगतान

करने का दायित्व उत्पन्न नहीं हो सकता है, इसका कोई मतलब नहीं है।

इस स्तर पर, यह ध्यान देने की आवश्यकता है कि न तो धारा 158ख ग और न ही धारा 158ख च क में कर निर्धारिती को विवरणी के साथ कर का भुगतान करने की आवश्यकता है। विवरणी के साथ कर जमा करने की देयता केवल धारा 140क के तहत उत्पन्न होती है। हालांकि, प्रासंगिक समय पर धारा 140क धारा 158ख ग पर लागू नहीं होती थी और इसलिए विवरणी के साथ कर जमा करने की कोई देयता नहीं थी। उक्त कमी संसद द्वारा देखी गई और वित्त अधिनियम, 1999 द्वारा, 01.06.1999 से लागू धारा 140क में "धारा 158ख ग" शब्द शामिल किए गए हैं। इसका मतलब यह नहीं है कि विवरणी देर से दाखिल करने की स्थिति में धारा 158ख च क के तहत ब्याज नहीं लगाया जाएगा। धारा 158ख ग के तहत विवरणी अध्याय XIV-बी के अनुसार दाखिल किया जाना आवश्यक था और विवरणी दाखिल करने में देरी पर, धारा 158ख च क(1) के तहत लगने वाले ब्याज का भुगतान करने की देयता होगी।[पैरा 10.1][713-घ-ज; 714-क-ख]

2.3 खंडों और ज्ञापन पर टिप्पणियों को एक साथ पढ़ने पर, यह बहुत स्पष्ट है कि विधानमंडल का मूल उद्देश्य कर निर्धारिती को करों और ब्याज का भुगतान करने के लिए दायी बनाना था जब विवरणी धारा 139 या धारा 142 या धारा 148 के तहत दाखिल की गई थी। संशोधन के आधार पर, इस प्रकार विधायिका ने उन कर निर्धारिती को धारा 158ख ग के तहत विवरणी दाखिल करने वाले लोगों को भी धारा 140क के तहत

कर और ब्याज का भुगतान करने के लिए दायी बनाने का प्रस्ताव दिया। वित्त विधेयक के प्रावधानों की व्याख्या करने वाला ज्ञापन यह स्पष्ट करता है कि धारा 140क के मौजूदा प्रावधान तलाशी और जब्ती मामलों में ब्लॉक अवधि की आय के निर्धारण से संबंधित अध्याय XIV-बी पर लागू नहीं थे। यह आगे मानता है कि निर्धारण पूरा होने तक विवरणी में घोषित स्वीकृत कर वसूल नहीं किया जा सकता है। इसलिए, विधायिका का इरादा धारा 158ख ग को शामिल करके धारा 140क में संशोधन करने का था ताकि उन व्यक्तियों को भी दायी बनाया जा सके जो धारा 158ख ग के तहत विवरणी दाखिल कर रहे हैं। इस प्रकार, संशोधन के आधार पर, कर निर्धारिती का एक नया वर्ग कानून-पुस्तक में लाया गया, जिनकी आय धारा 140क में अध्याय XIV-बी के तहत निर्धारण के अधीन है, जिससे उन्हें स्व-निर्धारण कर का भुगतान करने के लिए मजबूर होना पड़ा। इस प्रकार, विवरणी देर से या दाखिल न करने के लिए धारा 158ख च क के तहत ब्याज एकल आधार पर लगाया जाता है, जो विवरणी दाखिल करने के दिन समाप्त हो जाता है। विवादित निर्णय और आदेश में, उच्च न्यायालय ने धारा 140क में धारा 158ख ग के बनाने के पीछे के उद्देश्य को विस्तृत और व्यापक रूप से समझाया है और विशेष रूप से देखा और माना है कि ब्याज के भुगतान की देयता केवल विवरणी दाखिल करने पर ही नहीं रुकती है, बल्कि धारा 140क के तहत कर भुगतान तक लागू होती है और अब भी धारा 158ख च क(1) और धारा 140क के प्रावधान स्वतंत्र रूप से काम करते हैं उच्च न्यायालय द्वारा

अपनाया गया दृष्टिकोण इससे सहमत है।[पैरा 10.3] [715 ग-ज]

2.4 कर निर्धारिती की ओर से यह निवेदन कि संबंधित कर निर्धारिती को धारा 158ख ग के तहत किसी भी नोटिस के अभाव में और वित्त अधिनियम, 2002 के तहत धारा 158ख घ में "धारा 158ख ग" शब्दों को शामिल करने के मद्देनजर, धारा 158ख च क के तहत ब्याज का भुगतान करने की कोई देयता नहीं होगी, उपरोक्त प्रस्तुतिकरण बिल्कुल गलत है और इसमें कोई सार नहीं है। वित्त अधिनियम, 2002 के माध्यम से धारा 158ख घ में संशोधन से पहले और उसके बाद भी, धारा 158ख ग के प्रावधान "तलाशे गए व्यक्तियों" के मामले में लागू होंगे। धारा 158ख घ "तलाशी लिए गए व्यक्तियों के अलावा अन्य" व्यक्तियों के मामले में लागू होगी। इसलिए, "तलाशी लिए गए व्यक्ति के अलावा" किसी अन्य व्यक्ति के मामले में, धारा 158ख ग के तहत कोई नोटिस जारी करने की आवश्यकता नहीं थी, जो "तलाशी लिए गए व्यक्तियों" के मामले में जारी किया जाना आवश्यक है। "तलाशी लिए गए व्यक्ति के अलावा" किसी अन्य व्यक्ति के लिए धारा 158ख घ के तहत नोटिस पर्याप्त है। [पैरा 10.4] [716-क-ग]

2.5 कर निर्धारिती की ओर से यह निवेदन कि वित्त अधिनियम, 2002 के तहत धारा 158ख घ में "धारा 158ख ग के तहत" शब्द शामिल किए गए हैं। और इसलिए, संशोधन से पहले धारा 158ख ग के तहत किसी भी नोटिस के अभाव में, धारा 158ख च क के तहत ब्याज का भुगतान करने का कोई देयता नहीं होगी, वित्त विधेयक, 2002 के खंड

64 के साथ संलग्न खंडों पर नोट्स का अवलोकन करने से ऐसा प्रतीत होता है कि यह स्वरूप में स्पष्ट है। [पैरा 10.5] [716-घ-झ]

2.6 अध्याय XIV-बी तलाशी और जब्ती मामलों में ब्लॉक अवधि के लिए आय की गणना के लिए एक विशेष प्रक्रिया निर्धारित करता है। धारा 158ख घ जिसके संबंध में तलाशी की गई उस व्यक्ति के अलावा किसी अन्य व्यक्ति के मामले में लागू होगी। जैसा कि देखा गया अध्याय XIV-बी अपने आप में एक पूर्ण संहिता है जो ब्लॉक अवधि के लिए अधोषित आय के निर्धारण के लिए स्व-निहित तंत्र प्रदान करता है। इसलिए, तलाशी लिए गए व्यक्ति के अलावा अन्य व्यक्ति के मामले में धारा 158ख घ के तहत नोटिस आवश्यक/पर्याप्त होगा और धारा 158ख ग के तहत विवरणी देर से दाखिल करने के मामले में, धारा 158ख च क के तहत ब्याज लगाया जाएगा। कोई भी अन्य व्याख्या धारा 158ख घ को निरर्थक बना देगी। यह देखा जा सकता है कि धारा 158ख घ में "धारा 158ख ग के तहत" शब्द डालकर, संसद का इरादा यह स्पष्ट करना था कि तलाशी लिए गए व्यक्तियों के अलावा अन्य व्यक्तियों के मामले में ब्लॉक अवधि के लिए निर्धारण भी आयकर अधिनियम की धारा 158ख ग के तहत प्रक्रिया के अनुसार होगा। के कंपनी जैसे तत्काल मामले में - जिन व्यक्तियों की तलाश की गई उन्हें धारा 158ख ग के तहत नोटिस जारी किया गया था और के कंपनी के अपीलार्थी-निदेशक, जो "अन्य व्यक्ति" है, के मामले में धारा 158ख घ के तहत नोटिस जारी किया गया है। [पैरा 10.6][716-ज; 717-क-घ]

2.7 कर निर्धारिती की ओर से निवेदन है कि वित्त अधिनियम, 2002 के माध्यम से धारा 158ख घ में संशोधन से पहले की अवधि के लिए तलाशी किए गए व्यक्तियों के अलावा अन्य कर निर्धारिती व्यक्तियों को धारा 158ख ग के तहत किसी भी नोटिस के अभाव में, धारा 158ख च क के तहत ब्याज का भुगतान करने की कोई देयता नहीं होगी, इसका कोई सार नहीं है और इसे अस्वीकार करने की आवश्यकता है और उक्त प्रश्न का उत्तर राजस्व के पक्ष में और कर निर्धारिती के खिलाफ दिया जाना आवश्यक है। [पैरा 10.7][717-ड]

3. संबंधित कर निर्धारिती आयकर अधिनियम की धारा 113 के परंतुक के अंतर्गत अधिभार का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी नहीं हैं। उच्च न्यायालय द्वारा पारित विवादित निर्णय और आदेश को उपरोक्त सीमा तक संशोधित किया जाना आवश्यक है। जहां तक आयकर अधिनियम की धारा 158ख ग के तहत विवरणी देर से दाखिल करने पर आयकर अधिनियम की धारा 158ख च क के तहत ब्याज का भुगतान करने की देयता का सवाल है, तलाशी लिए गए व्यक्तियों के अलावा अन्य कर निर्धारिती-व्यक्तियों को धारा 158ख ग के तहत किसी भी नोटिस के अभाव में, उक्त प्रश्न राजस्व के पक्ष में और कर निर्धारिती के खिलाफ माना जाता है। उच्च न्यायालय द्वारा पारित आक्षेपित निर्णय और आदेश की पुष्टि की जाती है और इसे देखा और माना जाता है कि तलाशी लिए गए व्यक्तियों के अलावा अन्य कर निर्धारिती-व्यक्ति आयकर अधिनियम की धारा 158ख ग के तहत नोटिस के अभाव में और यहां तक कि 01.06.1999 से पहले की अवधि के लिए भी धारा 158ख ग के तहत विवरणी देर

से दाखिल करने पर ब्याज का भुगतान करने के लिए दायी होंगे। उस हद तक, उच्च न्यायालय द्वारा पारित विवादित निर्णय और आदेश की पुष्टि की जाती है। [पैरा 11][717-च-ज; 718-क]

आयकर आयुक्त (केंद्रीय)-I, नई दिल्ली बनाम वाटिका टाउनशिप प्राइवेट लिमिटेड 2015 (1) एससीसी 1: [2014] 12 एससीआर 1037; आयकर आयुक्त बनाम सुरेश एन. गुप्ता (2008) 297 आईटीआर 322 (एससी); मथुराम अग्रवाल बनाम मध्य प्रदेश राज्य, (1999) 8 एससीसी 667: [1999] 4 पूरक, एससीआर 195; आयकर आयुक्त (केंद्रीय)-I, नई दिल्ली बनाम वाटिका टाउनशिप प्राइवेट लिमिटेड 2015 (1) एससीसी 1: [2014] 12 एससीआर 1037; आयकर सहायक आयुक्त और अन्य बनाम होटल ब्लू मून (2010) 3 एससीसी 259: [2010] 2 एससीआर 282; पी.पी.उमेरकुट्टी बनाम एसीआईटी (2005) 279 आईटीआर 213 केरल - संदर्भित।

निर्णयजन्य विधि संदर्भ

[1999] 4 अनुपूरक एससीआर 195 संदर्भित पैरा .1

[2014] 12 एससीआर 1037 संदर्भित पैरा 6.3

[2010] 2 एससीआर 282 संदर्भित पैरा 6.4

सिविल अपीलीय अधिकारिता: सिविल अपील सं. 3074/2012

आयकर अपील संख्या 268/2004 में बेंगलुरु स्थित कर्नाटक उच्च न्यायालय के दिनांकित 09.12.2009 निर्णय और आदेश से।

के साथ

सिविल अपील सं. 3706, 3705, 3707, 3708 और
3709/2012

बलबीर सिंह, एसजी, प्रीतेश कपूर, अरिजीत प्रसाद, वरिष्ठ
अधिवक्ता, सेंटिल जगदीसन, सुश्री सोनाक्षी मल्हान, सजल जैन,
रूपेश कुमार, एच.आर. राव, प्रह्लाद सिंह, सुश्री श्रद्धा देशमुख, धर्म
दत्त वर्मा, प्रसेनजीत महापात्र, राज बहादुर यादव, उपस्थित
पक्षकारों के अधिवक्ता (गण)।

न्यायालय का निर्णय इनके द्वारा सुनाया गया

न्या., एम. आर. शाह

1. चूंकि अपीलों के इस समूह में कानून और तथ्यों का सामान्य प्रश्न उठता है, इसलिए इन सभी अपीलों का निर्णय और निपटान इस सामान्य निर्णय और आदेश द्वारा एक साथ किया जाता है।
2. इन सभी अपीलों में, विवाद ब्लॉक अवधि के लिए आय की विवरणी देर से दाखिल करने के लिए अधिनियम की धारा 158खघ के तहत पूरा किए गए कर निर्धारण के संबंध में आयकर अधिनियम की धारा 158खचक (1) के तहत ब्याज लगाने और आयकर अधिनियम की धारा 113 के तहत अधिभार लगाने के संबंध में है।

3. सुविधा के लिए, आईटीए सं 277/2004 में उच्च न्यायालय द्वारा पारित विवादित निर्णय और आदेश से उत्पन्न सिविल अपील सं. 3706/2012 पर विचार किया जा रहा है और इसे मुख्य मामला माना जा रहा है।

4. संक्षेप में वर्तमान अपील के मुख्य तथ्य इस प्रकार हैं:

4.1 कि अपीलार्थी खोडे ग्रुप ऑफ कंपनीज में एक व्यक्ति और निदेशक भागीदार है। खोडे ग्रुप के परिवार के सदस्यों के आवासीय परिसर में धारा 132 के तहत तलाशी ली गई और मेसर्स खोदे इंडिया लिमिटेड के नाम पर वारंट जारी किया गया। अपीलार्थी को 01.04.1986 से 13.02.1997 की ब्लॉक अवधि के लिए आय की विवरणी दाखिल करने के लिए धारा 158ख घ के तहत नोटिस दिया गया था। अपीलार्थी ने ब्लॉक अवधि के लिए रु. 45,00,000/- की अघोषित आय को शामिल करते हुए धारा 158ख घ के तहत नोटिस के जवाब में ब्लॉक अवधि के लिए विवरणी दाखिल की। कर निर्धारण अधिकारी ने धारा 158ख च क(1) के तहत 18.01.1998 से 19.01.1999 की अवधि के लिए 13 महीनों के लिए 2% प्रति माह की दर से ब्याज लगाया और 27,49,600/- रुपये की कर राशि पर 7,12,296/- रुपये का ब्याज लगाया।

4.2 निर्धारण अधिकारी के आदेश से व्यथित होकर अपीलार्थी ने विद्वान सीआईटी (क) के समक्ष अपील दायर की। कर निर्धारिती की ओर से यह मामला था कि धारा 158ख च क(1) के तहत ब्याज लगाना उचित नहीं था। विद्वान सीआईटी (क) ने ऐसा माना कि धारा 158ख च क में धारा 234क के प्रावधानों के समान धारा 158ख ग के तहत नोटिस के जवाब में ब्लॉक निर्धारण की विवरणी देर से दाखिल करने पर ब्याज लगाने का प्रावधान है। सीआईटी (क) ने भी यही माना धारा 234क के तहत ब्याज की वसूली प्रतिपूरक प्रकृति में है और चूक होने पर ही लागू होती है। सीआईटी (क) के आदेश से व्यथित होकर, अपीलार्थी-कर निर्धारिती ने आईटीएटी, बेंगलोर के समक्ष अपील दायर की। आईटीएटी के समक्ष, निर्धारिती की ओर से यह तर्क दिया गया था कि धारा 158ख च क(1) के प्रावधानों के अनुसार, ब्याज की वसूली केवल उस मामले में होगी जहां धारा 158ख ग के तहत नोटिस के जवाब में विवरणी दाखिल करने में विफलता या देरी हुई हो। यह तर्क दिया गया कि धारा 158ख ग के तहत किसी भी नोटिस के अभाव में, कर निर्धारण अधिकारी द्वारा ब्याज वसूलना उचित नहीं था। यह भी तर्क दिया गया कि धारा 158खघ में "कि निर्धारण अधिकारी आगे बढ़ेगा" शब्दों के बाद

"धारा 158खग के तहत" शब्द 01.06.2002 से प्रभावी वित्त अधिनियम, 2002 द्वारा जोड़े गए थे। यह तर्क दिया गया कि संशोधन विशेष रूप से विसंगति को ठीक करने के लिए लाया गया था और तथ्य यह है कि इसे 01.06.2002 से प्रभावी बना दिया गया है और इसलिए, ऐसे मामले में धारा 158ख च क(1) के तहत ब्याज वैध रूप से नहीं लगाया जा सकता है, जहां धारा 158ख घ के तहत नोटिस 31.05.2002 से पहले जारी किया गया था और वर्तमान मामले में नोटिस 28.11.1997 को जारी किया गया था। विद्वान आईटीएटी ने यह देखते हुए कर निर्धारिती द्वारा की गई अपील को स्वीकार कर लिया कि 01.01.1997 से प्रभावी धारा 158खचक (1) ब्याज लगाने का प्रावधान करती है और कभी भी आय की विवरणी के साथ स्व-निर्धारण कर का भुगतान करना अपेक्षित नहीं करती है। निर्धारण से निर्धारित अघोषित आय पर ब्याज लगाया जाता है। यह देखा गया कि धारा 158खग (क) के तहत दाखिल आय विवरणी के साथ स्व-निर्धारण कर का भुगतान अपेक्षित करने वाली धारा 140क को संशोधित किया गया था, जो दिनांक 01.06.1999 से ही प्रभावी है। यह देखा गया कि वर्तमान मामले में विवरणी 19.01.1999 को दाखिल की गई थी और प्रासंगिक समय पर आय विवरणी के साथ स्व-निर्धारण कर का भुगतान करने का कोई प्रावधान नहीं था और

इसलिए धारा 158ख च क(1) के तहत कोई ब्याज नहीं लगाया गया था।

4.3 आईटीएटी द्वारा पारित आदेश से व्यथित राजस्व ने उच्च न्यायालय के समक्ष आईटीए सं.277/2004 के रूप में एक अपील दायर की। विवादित निर्णय और आदेश द्वारा, उच्च न्यायालय ने आईटीएटी के निर्णय को उलट दिया है। उच्च न्यायालय ने देखा है कि जहां तक धारा 158ख च क(1) के तहत ब्याज के निर्धारण का सवाल है, धारा 140क में संशोधन का कोई परिणाम नहीं है। उच्च न्यायालय ने कर निर्धारिती की ओर से प्रस्तुत की गई दलील को नकार दिया कि धारा 158ख ग के तहत किसी विशेष नोटिस के अभाव में, 01.06.2002 से प्रभावी वित्त अधिनियम, 2002 द्वारा धारा 158ख घ के दायरे में धारा 158ख ग को शामिल करके संशोधन से पहले निवेदन करने पर धारा 158ख च क(1) के तहत कोई ब्याज नहीं लगाया जाएगा। जहां तक धारा 158ख घ के तहत नोटिस का सवाल है, धारा 158ख च क(1) का प्रावधान लागू नहीं था। उच्च न्यायालय ने यह व्यक्त किया और माना कि वित्त अधिनियम, 2002 के संदर्भ में संशोधन से पहले धारा 158ख घ के प्रावधानों को लागू करना, यानी "धारा 158ख ग के तहत" ये शब्द जोड़ने से पहले, धारा स्वयं उस प्रक्रिया

को इंगित करती है जिसका कर निर्धारण अधिकारी द्वारा पालन किया जाना आवश्यक था, केवल अधिनियम के अध्याय XIV-बी के प्रावधानों के संदर्भ में है और सिर्फ इसलिए कि विधायिका ने वित्त अधिनियम, 2002 के माध्यम से संशोधन के माध्यम से धारा 158ख ग को जोड़ना या उल्लेख करना उचित समझा, जो अन्यथा धारा 158ख घ और 158ख च क(1) के प्रावधानों और प्रयोज्यता की परिकल्पना करता है।

नतीजतन, उच्च न्यायालय ने राजस्व के पक्ष में और निर्धारिती के खिलाफ कानून के सवालों का जवाब दिया है और परिणामस्वरूप उक्त अपील को स्वीकार कर लिया गया।

4.4 अब जहां तक आयकर अधिनियम की धारा 113 के तहत अधिभार लगाने की बात है, उच्च न्यायालय ने आयकर आयुक्त बनाम सुरेश एन. गुप्ता - (2008) 297 आईटीआर 322 (एससी) के मामले में इस न्यायालय के निर्णय पर भरोसा करते हुए उक्त प्रश्न को भी राजस्व के पक्ष में रखा है।

4.5 उच्च न्यायालय द्वारा पारित निर्णय और आदेश से व्यथित और असंतुष्ट होकर, कर निर्धारिती ने वर्तमान अपील दायर की हैं।

5. श्री प्रीतेश कपूर, विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता, कर निर्धारिती-अपीलार्थी की ओर से उपस्थित हुए हैं और श्री बलबीर सिंह, विद्वान एएसजी राजस्व की ओर से उपस्थित हुए हैं।

6. अब, जहां तक उन व्यक्तियों को धारा 158ख च क की ब्याज-प्रयोज्यता का भुगतान करने की देयता का संबंध है, जिन्हें वित्त अधिनियम, 2002 द्वारा धारा 158ख घ में संशोधन से पहले धारा 158ख ग के तहत नोटिस जारी नहीं किया गया है। कर निर्धारिती की ओर से उपस्थित विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री कपूर ने दृढ़तापूर्वक यह निवेदन किया है कि वर्तमान मामले में स्वीकार किया जाता है कि वर्तमान कर निर्धारिती को धारा 158ख ग के तहत कभी भी नोटिस जारी नहीं किया गया था, बल्कि केवल धारा 158ख घ के तहत नोटिस जारी किया गया था। यह निवेदन किया गया है कि वास्तव में वित्त अधिनियम, 2002 द्वारा धारा 158ख घ में संशोधन से पहले, धारा 158ख ग के तहत "अन्य व्यक्ति" को नोटिस जारी करने की कोई आवश्यकता नहीं थी। यह निवेदन किया गया है कि उपरोक्त तथ्यात्मक स्थिति को ध्यान में रखते हुए, धारा 158ख च क केवल वहीं लागू होती है जहां "धारा 158ख ग के खंड (क) के तहत नोटिस के द्वारा आवश्यक" समय के भीतर विवरणी प्रस्तुत नहीं की गई हो।

आगे यह निवेदन किया गया है कि धारा 158ख ग के खंड (क) के तहत इस तरह के नोटिस के अभाव में, धारा की मौलिक पूर्व-आवश्यकता पूरी नहीं होती है।

6.1 यह प्रस्तुत किया गया है कि यदि इसके स्पष्ट शब्दों में कोई धारा लागू नहीं होती है तो उस धारा के तहत देयता अधिरोपित नहीं की जा सकती है। यह निवेदन किया गया है कि जैसा कि इस माननीय न्यायालय द्वारा लगातार माना जा रहा है कि कर निर्धारिती पर देयता तय करने के लिए, यह दिखाया जाना चाहिए कि वह स्पष्ट रूप से धारा के अंतर्गत आता है। मथुराम अग्रवाल बनाम मध्य प्रदेश राज्य, (1999) 8 एससीसी 667 (पैरा 13 और 14) के मामले में इस न्यायालय के निर्णय पर भरोसा किया गया है।

6.2 यह निवेदन किया गया है कि चूंकि धारा 158ख च क में ऐसी कोई स्थिति नहीं है जहां धारा 158ख घ के तहत नोटिस जारी किया गया है, इसलिए वर्तमान कर निर्धारिती से उस धारा के तहत कोई ब्याज नहीं वसूला जा सकता है।

6.3 आगे यह निवेदन किया गया कि उच्च न्यायालय के समक्ष विभाग का तर्क यह था कि वित्तीय अधिनियम 2002 द्वारा धारा 158 खघ में किया गया संशोधन, जो

धारा 158 खग के तहत हुए अन्य व्यक्ति को नोटिस जारी करने की आवश्यकता को लागू करता था, यहां तक कि लंबित कार्यवाहियों पर भी लागू होता था, त्रुटिपूर्ण है और आयकर आयुक्त (केंद्रीय)-I, नई दिल्ली बनाम वाटिका टाउनशिप प्राइवेट लिमिटेड - 2015 (1) एससीसी 1 (पैरा 28) के मामले में इस न्यायालय की संविधान पीठ के निर्णय के विरुद्ध है, जिसमें संविधान पीठ ने स्पष्ट रूप से कहा है कि उपधारणा यह है कि प्रत्येक संशोधन पूर्वक्षित प्रभाव वाला होता है और संशोधन उस निर्धारण वर्ष से लागू होता है जिसमें इसे प्रस्तुत किया गया है।

6.4 आगे यह भी प्रस्तुत किया गया है कि किसी भी घटना में, उक्त तर्क का परिणाम यह होगा कि संपूर्ण ब्लॉक निर्धारण (सिर्फ ब्याज की वसूली नहीं) को अमान्य माना जाएगा, क्योंकि इस न्यायालय ने पूर्वोक्त निर्णय में यह निर्धारित किया है कि जहां किसी अनुभाग को नोटिस जारी करने की आवश्यकता होती है, ऐसा नोटिस एक क्षेत्राधिकार संबंधी पूर्व-अपेक्षा है और ऐसे नोटिस के अभाव में, पूरी कार्यवाही अभिखंडित कर दी जा सकती है। आयकर सहायक आयुक्त और अन्य बनाम होटल ब्लू मून, (2010) 3 एससीसी 259 (पैरा 22) के मामले में इस न्यायालय के

निर्णय पर भरोसा रखा गया है। यह निवेदन किया गया है कि दूसरे शब्दों में यदि संशोधन भूतलक्षी रूप से लागू होता है, तो धारा 158ख ग के तहत नोटिस जारी करना "अन्य व्यक्ति" (यहां कर निर्धारिती होने के नाते) के लिए भी अनिवार्य था और इसके अभाव में संपूर्ण ब्लॉक निर्धारण विफल हो जाएगा।

6.5 यह निवेदन किया गया है कि विभाग की ओर से यह भी कहा गया है कि धारा 158ख ग के तहत नोटिस जारी करना केवल औपचारिकता है और वित्त अधिनियम, 2002 के माध्यम से धारा 158ख घ में संशोधन के बाद भी धारा 158ख ग के तहत "अन्य व्यक्ति" को कोई नोटिस जारी करने की आवश्यकता नहीं है, यह प्रस्तुत किया गया है कि उक्त प्रस्तुति निम्नलिखित कारणों से भी गलत है:

"उक्त तर्क धारा 158ख घ की विशिष्ट अनिवार्य भाषा के विरुद्ध जाता है जैसा कि यह अब मौजूद है।".....और वह निर्धारण अधिकारी ऐसे अन्य व्यक्ति के खिलाफ [धारा 158ख ग के तहत] कार्रवाई करेगा.....।"

{जैसा कि ऊपर प्रस्तुत किया गया है, होटल ब्लू मून के मामले में इस माननीय न्यायालय के निर्णय को ध्यान में रखते हुए, निर्दिष्ट धारा के तहत नोटिस जारी करना

एक न्यायिक पूर्व-आवश्यकता होगी, और इसलिए पूरे ब्लॉक निर्धारण को अमान्य माना जाएगा।}

(ii) इसके अलावा, यह तर्क वित्त अधिनियम, 2002 के माध्यम से धारा 158ख घ में "धारा 158ख ग के तहत" शब्द जोड़ने वाले विशिष्ट संशोधन को प्रस्तुत करता है। अगर विभाग का तर्क सही है तो यह संशोधन अनावश्यक था।

(iii) किसी भी स्थिति में, यह तर्क कर निर्धारिती के उस तर्क का उत्तर नहीं देता है कि धारा 158ख च क, स्पष्ट रूप से, केवल तभी लागू होती है जब "धारा 158ख ग के खंड (क) के तहत नोटिस द्वारा आवश्यक" विवरणी समय के भीतर प्रस्तुत नहीं की गई हो। वर्तमान मामले में हम धारा 158ख च क के तहत ब्याज लगाने के सीमित मुद्दे से संबंधित हैं। भले ही {तर्क के लिए} धारा 158ख ग के तहत नोटिस अनिवार्य नहीं है, यह धारा 159ख च क के विशिष्ट शब्दों को नहीं बदलता है और ऐसे व्यक्ति को इसके दायरे में नहीं ला सकता है जिसे धारा 158ख ग के तहत नोटिस जारी नहीं किया गया है। दूसरी ओर, कर निर्धारिती द्वारा उठाया जा रहा तर्क यह सुनिश्चित करता है कि 2002 के बाद भी "अन्य व्यक्ति" धारा 158ख च क के दायरे में आता है।

(iv) विभाग का यह तर्क विशिष्ट समविषयक प्रावधान अर्थात् धारा 153ग के भी विरुद्ध है। जैसा कि विद्वान एएसजी ने सही बताया है, 31 मई, 2003 के बाद, तलाश

के मामले में, 153क से 153ग के प्रावधान लागू होते हैं और धारा 153ग 158ख घ के समविषयक है।

6.6 उपरोक्त प्रस्तुत करते हुए, यह मानने की प्रार्थना की जाती है कि धारा 158ख ग के तहत कर निर्धारिती - "अन्य व्यक्ति" को दिए गए नोटिस के अभाव में, कर निर्धारण अधिकारी द्वारा धारा 158ख च क के तहत ब्याज लगाना उचित नहीं था।

6.7 अब, जहां तक आयकर अधिनियम की धारा 113 के परंतुक के अंतर्गत अधिभार लगाने का संबंध है, यह दृढ़तापूर्वक प्रस्तुत किया गया है इस प्रकार, उक्त प्रश्न अब वाटिका टाउनशिप प्राइवेट लिमिटेड (पूर्वोक्त) (पैरा 37 से 40) के मामले में इस न्यायालय की संविधान पीठ के निर्णय द्वारा कर निर्धारिती के पक्ष में आता है। यह प्रस्तुत किया गया है कि सुरेश एन. गुप्ता (पूर्वोक्त) के मामले में इस न्यायालय के निर्णय, जिस पर उच्च न्यायालय ने विवादित निर्णय में भरोसा किया था, को वाटिका टाउनशिप प्राइवेट लिमिटेड (सुप्रा) में संविधान पीठ द्वारा विशेष रूप से खारिज कर दिया गया है।

6.8 अब, जहां तक धारा 158ख ग के तहत नोटिस जारी किए गए व्यक्तियों के मामले में 01.06.1999 से पहले धारा 158ख च क के तहत ब्याज की वसूली का संबंध है, यह प्रस्तुत किया गया है कि ब्याज केवल मूलधन के बाद आता है। इस मामले में मूलधन पर कर देय है। यह प्रस्तुत किया गया है कि दूसरे शब्दों में, यदि प्रासंगिक समय पर विवरणी के साथ कर का भुगतान करने की कोई देयता नहीं थी, तो ब्याज का भुगतान करने की देयता उत्पन्न नहीं हो सकती है। यह प्रस्तुत किया गया है कि ब्याज केवल कर से वंचित होने पर राजस्व की भरपाई करने का एक माध्यम है, कर जमा करने की देयता उत्पन्न होने पर ही ब्याज लगना शुरू हो सकता है।

6.9 यह प्रस्तुत किया गया है कि वर्तमान मामले में यह स्पष्ट है कि न तो धारा 158ख ग और न ही धारा 158ख च क में कर निर्धारिती को विवरणी के साथ कर का भुगतान करने की अपेक्षा है। यह प्रस्तुत किया गया है कि विवरणी के साथ कर जमा करने की यह देयता केवल धारा 140क के तहत उत्पन्न होती है। हालांकि, प्रासंगिक समय पर धारा 140क धारा 158ख ग पर लागू नहीं होती थी और इसलिए विवरणी के साथ कर जमा करने की कोई देयता नहीं थी। यह प्रस्तुत किया गया है कि इस

कमी को संसद ने देखा और वित्त अधिनियम, 1999 द्वारा, 01.06.1999 से लागू धारा 140क में "धारा 158ख ग" शब्द शामिल किए गए हैं। यह प्रस्तुत किया गया है कि 01.06.1999 से पहले की अवधि के लिए विभाग की ओर से यह प्रस्तुति कि धारा 158ख च क को धारा 140क से स्वतंत्र रूप से देखा जाना है, स्वीकार नहीं किया जा सकता है। यह निवेदन किया गया है कि इसलिए प्रासंगिक समय पर विवरणी के साथ कर जमा करने की कोई देयता नहीं है, केवल विवरणी दाखिल करने में विफलता के लिए उस कर पर कोई ब्याज नहीं लगाया जा सकता है।

6.10 उपरोक्त निवेदन करते हुए, यह प्रार्थना की जाती है कि वर्तमान अपीलों को स्वीकार किया जाए और कर निर्धारिती के पक्ष में और राजस्व के विरुद्ध कानून के मुद्दों/प्रश्नों का उत्तर दिया जाए।

7. राजस्व की ओर से उपस्थित विद्वान एएसजी श्री बलबीर सिंह ने इन सभी अपीलों का पुरजोर विरोध किया।

7.1 यह प्रस्तुत किया गया है कि वर्तमान अपीलें खोदे ग्रुप ऑफ़ कंपनीज में 13.02.1997 को की गई तलाशी से उत्पन्न हुई हैं। सभी अपीलों में कर निर्धारिती की अघोषित आय पर धारा 158ख च क के तहत ब्याज लगाने के संबंध में एक सामान्य प्रश्न उठाया

गया। यह प्रस्तुत किया गया है कि 13.02.1997 को की गई तलाशी के अनुसार, धारा 158ख घ नोटिस कर निर्धारिती ("अन्य व्यक्ति") को ब्लॉक अवधि 1987-88 से 1997-98 के लिए विवरणी दाखिल करने के लिए जारी किया गया था, इसके बाद कर निर्धारण अधिकारी ने धारा 158ख घ के तहत कर निर्धारण का आदेश पारित किया और आय का निर्धारण किया। कर निर्धारण अधिकारी ने प्रत्येक मामले में विवरणी दाखिल करने की तारीख के आधार पर, विभिन्न अवधियों के लिए धारा 158ख च क(1) के तहत ब्याज भी लगाया। यह प्रस्तुत किया गया है कि विवरणी दाखिल करने के लिए जारी किए गए नोटिस के अनुसार, विवरणी दाखिल करने में देरी हुई और धारा 158ख च क(1) स्वरूप में अनिवार्य थी जिसके अनुसार ब्याज देय हो गया और नोटिस में निर्धारित नियत तारीख और वास्तविक विवरणी दाखिल करने की तारीख के बाद कर निर्धारिती द्वारा भुगतान किया जाना था।

7.2 यह प्रस्तुत किया गया है कि अधिनियम की धारा 158ख च क(1) के तहत ब्याज अधिनियम की धारा 158ख ग/158ख घ के तहत निर्धारण के अनुसार कर निर्धारिती द्वारा

विवरणी दाखिल करने में देरी या दाखिल न करने के लिए सरकार को प्रतिकार (मुआवजा) देने के लिए लगाया जाता है।

7.3 आगे यह भी प्रस्तुत किया गया है कि इसके बाद, आयकर अधिनियम की धारा 140क (1) को 01.06.1999 से प्रभावी वित्त अधिनियम, 1999 द्वारा संशोधित किया गया था, जिसमें धारा 158ख ग को शामिल किया गया, जिससे कर निर्धारिती को धारा 158ख ग के तहत विवरणी देने से पहले कर का भुगतान करना होगा और विवरणी के साथ भुगतान का प्रमाण भी दाखिल करना होगा। धारा 140क में धारा 158ख ग को शामिल करके, विधायिका आयकर अधिनियम की धारा 140क (1) के तहत स्व-निर्धारण कर का भुगतान करने के लिए कर निर्धारिती पर एक अतिरिक्त भार डालती है, जब धारा 158ख ग के तहत नोटिस के जवाब में आय की विवरणी दाखिल की गई थी। यह प्रस्तुत किया गया है कि इसलिए यह बहुत स्पष्ट है कि जब कर निर्धारिती द्वारा धारा 158ख ग के तहत ब्लॉक अवधि के लिए विवरणी दाखिल की गई थी, तो आयकर अधिनियम की धारा 140क (1) के तहत कर का भुगतान करने की कोई आवश्यकता नहीं थी और संपूर्ण देयता देरी की अवधि तक सीमित थी और कर के भुगतान में देरी नहीं होगी।

7.4 यह प्रस्तुत किया गया है कि आयकर का अध्याय XIV-बी "तलाशी किए गए व्यक्ति" और "तलाशी किए गए व्यक्ति के अलावा अन्य" के संबंध में एक विशेष प्रावधान है। यह प्रस्तुत किया गया है कि अध्याय XIV-बी की शुरुआत के पीछे का दायरा और इरादा केरल उच्च न्यायालय द्वारा पी.पी. उमरकुट्टी बनाम एसीआईटी - (2005) 279 आईटीआर 213 केरल के मामले में विस्तार से समझाया गया है। यह प्रस्तुत किया गया है कि जैसा कि उपरोक्त निर्णय में केरल उच्च न्यायालय द्वारा बताया गया है, अध्याय XIV-बी के तहत ब्लॉक निर्धारण से संबंधित प्रावधान स्व-निहित नोट हैं, जिसमें कर के भुगतान के लिए दायित्व निर्धारित करने के तरीके में भिन्नता प्रदान की गई है और एक ऐसी स्थिति को शामिल करती है जहां ब्लॉक अवधि से संबंधित अघोषित आय पर केवल कुछ तलाशी कार्यवाहियों आदि के दौरान गैर-प्रकटीकरण के प्रकाश में आने के कारण कर नहीं लगाया गया था।

7.5 यह प्रस्तुत किया गया है कि अध्याय-XIV बी के तहत शुरू की गई ब्लॉक निर्धारण की योजना को वाटिका टाउनशिप प्राइवेट लिमिटेड (पूर्वोक्त) के मामले में इस न्यायालय की संविधान पीठ द्वारा समझाया गया है और उस पर विचार किया

गया है। यह प्रस्तुत किया गया है कि जैसा कि इस न्यायालय ने देखा है, अधिनियम का अध्याय XIV-बी ब्लॉक निर्धारण से संबंधित है जो तलाशी के मामलों के लिए एक विशेष प्रक्रिया निर्धारित करता है। यह प्रस्तुत किया गया है कि जैसा कि देखा गया है, अधिनियम में इस प्रावधान को जोड़ने का मुख्य कारण कर चोरी पर अंकुश लगाना और ऐसे तलाशी लिए गए मामलों में निर्धारण को सरल बनाने के उसमें साथ-साथ तेजी लाना था। यह प्रस्तुत किया गया है कि जैसा कि इस न्यायालय ने उपरोक्त निर्णय में देखा और माना है अध्याय XIV-बी अपने आप में एक पूर्ण कोड है जो दस साल या छह साल की ब्लॉक अवधि, जैसा भी मामला हो, के लिए अघोषित आय के निर्धारण के लिए स्व-निहित तंत्र प्रदान करता है।

7.6 यह प्रस्तुत किया गया है कि धारा 158ख च क(1) के तहत ब्याज की वसूली विवरणी दाखिल करने की अवधि से जुड़ी हुई है और उस अवधि को विशेष रूप से ध्यान में रखा जाना चाहिए क्योंकि ब्याज की वसूली केवल विवरणी दाखिल करने में देरी की अवधि के लिए है। यह प्रस्तुत किया गया है कि ब्याज में देरी करों के भुगतान में देरी से नहीं बल्कि विवरणी दाखिल करने में देरी से जुड़ी है।

7.7 जहां तक कर निर्धारिती की ओर से यह प्रस्तुत करने की बात है कि वित्त अधिनियम, 2002 के माध्यम से धारा 158ख घ में संशोधन से पहले "अन्य व्यक्ति" को धारा 158ख ग के तहत किसी भी नोटिस के अभाव में और इससे संपूर्ण ब्लॉक निर्धारण अमान्य हो जाएगा और और कर निर्धारिती की ओर से प्रस्तुतीकरण कि वित्त अधिनियम, 2002 के तहत धारा 158ख घ में "धारा 158ख ग के तहत" शब्द जोड़ने से संशोधन निरर्थक हो जाएगा यह दृढ़तापूर्वक प्रस्तुत किया गया है कि उक्त दलीलें में दम नहीं है। वित्त विधेयक, 2002 के खंड 64 से जुड़े खंडों के नोट्स पर भरोसा करते हुए, जिसमें कहा गया है कि "धारा 158ख ग के तहत" शब्द डाले गए थे, यह प्रस्तुत किया गया है कि धारा 158ख घ में "धारा 158ख ग के तहत" शब्द डाले गए हैं ताकि यह स्पष्ट हो सके कि निर्धारण अधिकारी धारा 158ख ग के तहत ऐसे "अन्य व्यक्ति" के खिलाफ कार्रवाई करेगा। आगे यह प्रस्तुत किया गया है कि अध्याय XIV-बी तलाशी और जब्ती मामलों में ब्लॉक अवधि के लिए आय की गणना के लिए एक विशेष प्रक्रिया निर्धारित करता है। धारा 158ख घ उस प्रक्रिया को इंगित करती है जिसका पालन निर्धारण अधिकारी द्वारा उस व्यक्ति के अलावा किसी अन्य व्यक्ति के लिए किया जाना आवश्यक था, जिसके संबंध में तलाशी ली गई थी।

यह प्रस्तुत किया गया है यहां तक कि वित्त अधिनियम, 2002, धारा 158ख घ के तहत लाए गए स्पष्टीकरण संशोधन के बिना भी प्रावधान किया गया कि अधिनियम के अध्याय-XIV-बी का प्रावधान तदनुसार लागू होगा और इसलिए धारा 158ख ग और 158ख च क का प्रावधान लागू हुआ। यह प्रस्तुत किया गया है कि "धारा 158ख ग के तहत" का सम्मिलन केवल यह स्पष्ट करता है कि धारा 158ख घ के तहत जो हमेशा से मौजूद था।

7.8 यह प्रस्तुत किया गया है कि यदि कर निर्धारिती का तर्क है कि धारा 158ख च क तब तक लागू नहीं होगी जब तक धारा 158ख ग के तहत नोटिस प्रदान नहीं किया जाता है, तो वित्त अधिनियम, 2002 से पहले लाए गए स्पष्टीकरण संशोधन से पहले की अवधि के लिए स्वीकार कर लिया जाता है, उस स्थिति में, धारा 158ख घ का प्रावधान धारा 158ख च क के लिए निरर्थक हो जाएगा। यह प्रस्तुत किया गया है कि इस तरह की व्याख्या से बेतुकापन आएगा और कानून की किताब में धारा 158ख घ के पीछे का पूरा प्रयोजन पूरा नहीं ही पाएगा।

7.9 अब जहां तक धारा 158ख ग के तहत नोटिस जारी किए गए व्यक्तियों के मामले में 01.06.1999 से पहले धारा 158ख च क के तहत ब्याज की वसूली और निर्धारिती की ओर से प्रस्तुती

का सवाल है चूंकि ब्याज केवल मूलधन के बाद आता है, इसलिए ब्याज के भुगतान की देयता नहीं बनती क्योंकि विवरणी के साथ कर का भुगतान करने की कोई देयता नहीं थी, चूंकि प्रासंगिक समय पर, धारा 140क धारा 158ख ग पर लागू नहीं होती थी, विवरणी के साथ कर जमा करने की कोई देयता नहीं थी, इसलिए, केवल विवरणी दाखिल करने में विफलता के लिए उस कर पर कोई ब्याज नहीं लगाया जा सकता है, यह प्रस्तुत किया गया है कि उक्त विवाद धारा 158ख च क(1) की अनिवार्य और प्रतिपूरक भाषा के विपरीत है। खंडों के नोट्स और अधिनियम की धारा 140क में संशोधन की व्याख्या करने वाले ज्ञापन, विशेष रूप से खंड 63, जिसके द्वारा आयकर अधिनियम की धारा 140क में संशोधन करने की मांग की गई थी, पर भरोसा किया गया है। यह प्रस्तुत किया गया है कि खण्डों के नोट और ज्ञापन को संयुक्त रूप से पढ़ने से यह बहुत स्पष्ट है कि विधायिका का मूल उद्देश्य धारा 139 या धारा 142 या धारा 148 के तहत विवरणी दाखिल करने पर कर निर्धारिती को कर और ब्याज का भुगतान करने के लिए दायी बनाना था। यह प्रस्तुत किया गया है कि संशोधन के आधार पर, विधायिका ने उन निर्धारितियों को, जो धारा 158ख ग के तहत विवरणी दाखिल कर रहे हैं, धारा 140क के तहत कर और ब्याज का भुगतान करने के लिए दायी

बनाने का प्रस्ताव रखा। यह प्रस्तुत किया गया है कि वित्त विधेयक के प्रावधानों की व्याख्या करने वाले ज्ञापन में यह स्पष्ट किया गया है कि धारा 140क के मौजूदा प्रावधान तलाशी और जब्ती मामलों में ब्लॉक अवधि की आय के निर्धारण से संबंधित अध्याय XIV-बी पर लागू नहीं होते हैं। उक्त ज्ञापन में यह भी माना गया है कि विवरणी में घोषित स्वीकृत कर निर्धारण पूरा होने तक वसूल नहीं किया जा सकता है। इसलिए, विधायिका का उद्देश्य धारा 158ख ग को शामिल करके धारा 140क में संशोधन करने का था ताकि उन व्यक्तियों को दायी बनाया जा सके जो धारा 158ख ग के तहत भी विवरणी दाखिल कर रहे हैं। इस प्रकार, संशोधन के आधार पर, कर निर्धारिती का एक नया वर्ग कानून की किताब के अंतर्गत लाया गया, जिनकी आय धारा 140क में अध्याय XIV-बी के तहत निर्धारण के अधीन है, जिससे उन्हें स्व-निर्धारण कर का भुगतान करने के लिए मजबूर होना पड़ा। यह प्रस्तुत किया गया है कि इसलिए यदि विधायिका धारा 140क के प्रावधानों को लागू करना चाहती थी, तो उन्होंने स्पष्ट रूप से ऐसा कहा होता। यह तथ्य कि अध्याय XIV-बी में धारा 140क के प्रावधानों को लागू करने के लिए कोई प्रावधान नहीं है, स्पष्ट रूप से दर्शाता है कि विधायिका का इरादा कभी भी 01.06.1999 से पहले धारा 140क के प्रावधानों

को लागू करने का नहीं था। वित्त विधेयक, 1999 की व्याख्या करने वाले ज्ञापन में यह भी स्पष्ट किया गया था कि विवरणी दाखिल करते समय स्व-निर्धारण कर के भुगतान के लिए अध्याय XIV-बी में कोई संबंधित प्रावधान नहीं है। यह प्रस्तुत किया गया है कि इसलिए विवरणी दाखिल न करने पर धारा 158ख च क के तहत ब्याज स्वतंत्र आधार पर लगाया जाता है, जो विवरणी दाखिल करने के दिन समाप्त हो जाता है। यह प्रस्तुत किया गया है कि उक्त प्रावधान धारा 234क के समान है।

7.10 यह प्रस्तुत किया गया है कि विवादित निर्णय और आदेश में उच्च न्यायालय ने धारा 140क में धारा 158ख ग के बनाने के पीछे के उद्देश्य को समझाया है और विशेष रूप से माना है कि "ब्याज के भुगतान की देयता केवल विवरणी दाखिल करने तक ही नहीं है बल्कि यह धारा 140क के तहत कर के भुगतान पर भी लागू होती है और अब भी धारा 158ख च क(1) और 140क के प्रावधान स्वतंत्र रूप से संचालित होते हैं"। "यह प्रस्तुत किया गया है कि इसे ध्यान में रखते हुए, धारा 158ख च क के तहत ब्याज का भुगतान करने की अपनी देयता से इनकार करने के लिए निर्धारिती की ओर से प्रस्तुत किया गया निवेदन खारिज किया जाना चाहिए।

7.11 अब जहां तक आयकर अधिनियम की धारा 113 के परंतुक के अंतर्गत अधिभार लगाने का संबंध है राजस्व की ओर से उपस्थित विद्वान एएसजी श्री बलबीर सिंह ने निष्पक्ष रूप से स्वीकार किया है कि वाटिका टाउनशिप प्राइवेट लिमिटेड (पूर्वोक्त) के मामले में इस न्यायालय के निर्णय के संदर्भ में उक्त मुद्दे का निर्णय कर निर्धारिती के पक्ष में किया गया है।

8. संबंधित पक्षों की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ताओं को विस्तार से सुना। वर्तमान अपीलों में इस न्यायालय के विचार के लिए प्रस्तुत किए गए कानून के प्रश्न इस प्रकार हैं: (i) अधिनियम की धारा 158ख ग के तहत किसी नोटिस के अभाव में ब्लॉक अवधि के लिए विवरणी देर से दाखिल करने और 01.06.1999 से पहले की अवधि के लिए आयकर अधिनियम की धारा 158ख च क(1) के तहत ब्याज लगाया जाएगा? और (ii) आयकर अधिनियम की धारा 113 के परंतुक के अंतर्गत अधिभार की वसूली होगी।

9. अब जहां तक आयकर अधिनियम की धारा 113 के परंतुक के अंतर्गत अधिभार की वसूली का संबंध है, वाटिका टाउनशिप प्राइवेट लिमिटेड (पूर्वोक्त) के मामले में इस न्यायालय के निर्णय

के मद्देनजर उक्त मुद्दा अब अनिर्णीत मामला नहीं है। पैरा 37 से 40, 44 और 45 में, इसे इस प्रकार देखा और माना जाता है:

"संदर्भ के लिए जवाब

37. जब हम उपरोक्त सिद्धांतों को ध्यान में रखते हुए अधिनियम की धारा 113 में परंतुक को शामिल करने की जांच करते हैं, तो हमारा अनूठा निष्कर्ष यह है कि विधायिका का इरादा इसे संभावित प्रकृति का बनाना था। इस परंतुक को घोषणात्मक/संवैधानिक या उपचारात्मक प्रकृति का नहीं माना जा सकता।

38. इस निष्कर्ष पर पहुंचने के कई कारण हैं जिन्हें हम यहां नीचे गिना रहे हैं।

समर्थन के लिए कारण

39. पहला और सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न यह है कि क्या धारा 113 के परंतुक के अभाव में, अधिभार लगाने के साथ ब्लॉक निर्धारण करना संभव था? सुरेश एन. गुप्ता [सीआईटी बनाम सुरेश एन. गुप्ता, (2008) 4 एससीसी 362] में, यह अभिस्वीकृत किया गया था और स्वीकार किया गया था कि अधिनियम की धारा 113 के संशोधन से पहले की स्थिति जिसमें यह परंतुक जोड़ा गया था कि ब्लॉक निर्धारण के संबंध में अधिभार देय था या नहीं, पूरी तरह से अस्पष्ट और अनिश्चित थी। न्यायालय ने बताया कि कुछ निर्धारण अधिकारियों ने यह विचार किया था कि कोई अधिभार नहीं लगाया जा सकता है।

अन्य लोग अधिभार की एक विशेष दर लागू करने में असमर्थ थे क्योंकि उन्हें यह स्पष्ट नहीं था कि ऐसी दरें निर्धारित करने वाला कौन सा वित्त अधिनियम लागू था। यह सामान्य ज्ञान की बात है और यह भी बताया गया है कि अधिभार साल-दर-साल बदलता रहता है। हालांकि, निर्धारण अधिकारी उस तारीख के बारे में अनिश्चित थे जिसके संदर्भ में वित्त अधिनियम में प्रदान की गई दरें लागू की जानी थीं। उनके सामने चार तारीख थीं, अर्थात्: (सुरेश एन. गुप्ता वाला मामला [सीआईटी बनाम सुरेश एन. गुप्ता, (2008) 4 एससीसी 362], एससीसी पी. 379, पैरा 35)

(i) क्या उस वर्ष के वित्त अधिनियम में प्रदान की गई दरों के संदर्भ में अधिभार लगाया गया था जिसमें तलाशी शुरू की गई थी; या

(ii) वह वर्ष जिसमें तलाशी पूरी हुई थी; या

(iii) वह वर्ष जिसमें अधिनियम की धारा 158-बीसी के तहत ब्लॉक निर्धारण कार्यवाही शुरू की गई थी; या

(iv) वह वर्ष जिसमें ब्लॉक निर्धारण आदेश पारित किया गया था।

39.1. अधिनियम की धारा 113 में संशोधन करने से पहले जो स्थिति थी वह यह थी कि कुछ निर्धारण अधिकारी कोई अधिभार नहीं लगा रहे थे और और अन्य जिनका विचार था कि अधिभार देय है, वे एक

विशेष वित्त अधिनियम के लागू होने के लिए अलग-अलग तारीखें चुन रहे थे, जिसके परिणामस्वरूप निर्धारण आदेशों में अधिभार की अलग-अलग दरें थीं। एक निर्दिष्ट तारीख के अभाव में, अधिभार लगाना संभव नहीं था और अधिभार की एक विशेष दर के बिना निर्धारण नहीं किया जा सकता था। जैसा कि ऊपर कहा गया है, सुरेश एन. गुप्ता [सीआईटी बनाम सुरेश एन. गुप्ता, (2008) 4 एससीसी 362] में, न्यायालय ने चार अलग-अलग तारीखें बताई हैं जो कर निर्धारितियों के साथ-साथ विभाग को भी परेशान कर रही थीं। किसी विशेष तारीख को चुनने से अधिभार के भुगतान पर महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ेगा। न केवल अलग-अलग वर्षों के लिए अधिभार अलग-अलग होता है, बल्कि यह कर निर्धारिती की श्रेणी के अनुसार भी अलग-अलग होता है और कुछ वर्षों के लिए, कोई अधिभार नहीं होता है। इसे अलग-अलग निर्धारण वर्षों के लिए अधिभार निर्धारित करने वाली नीचे दी गई सारणी से देखा जा सकता है:

भाग I

वित्त अधिनियम	वित्त अधिनियम की प्रासंगिक धारा	पैरा (क)	पैरा (ख)	पैरा (ग)	पैरा (घ)	पैरा (ङ)

		एनडीएफ, एचयूएफ, बीओआई, एओपी	सहकारी सोसाइटी	फर्म	स्थानीय प्राधिकरण	कंपनियां
1995	धारा 2(3)	-	-	-	-	
1996	धारा 2(3)	-	-	-	-	15%
1997	धारा 2(3)	-	-	-	-	7.50%
1998	धारा 2(3)	-	-	-	-	
1999	धारा 2(3)	-	-	-	-	
2000	धारा 2(3)	10%	10%	10%	10%	10%
2001	धारा 2(3)	12% या 17%	12%	12%	12%	13%
2002	धारा 2(3)	2%	2%	2%	2%	2%
2003	धारा 2(3)	5%	5%	5%	5%	5%

39.2 जिस दर पर कर, या उस मामले के लिए अधिभार लगाया जाना है वह कर व्यवस्था का एक अनिवार्य घटक है। गोविंद सरन गंगा सरन बनाम सीएसटी में [1985 अनुपूरक। एससीसी 205: 1985 एससीसी (टैक्स) 447: (1985) 155 आईटीआर 144], मैं इस न्यायालय ने, कर के वैचारिक अर्थ को समझाते हुए, उसमें चार घटकों को रेखांकित किया, जैसा कि उक्त निर्णय के निम्नलिखित पैरा से स्पष्ट है: (एससीसी पीपी. 209-10, पैरा 6)

"6. कर की अवधारणा में शामिल होने वाले घटक प्रसिद्ध हैं। पहला, इसके स्वरूप से ज्ञात अधिरोपण का रूप है जो वसूली करने वाली कर योग्य घटना को निर्धारित करता है, दूसरा उस व्यक्ति का स्पष्ट संकेत है जिस पर करारोपण किया गया है और जो कर का भुगतान करने के लिए बाध्य है, तीसरा वह दर है जिस पर कर लगाया जाता है, और चौथा वह माप या मूल्य है जिस पर कर देयता की गणना के लिए दर लागू की जाएगी। यदि वे घटक स्पष्ट रूप से और निश्चित रूप से अभिनिश्चय योग्य नहीं हैं, तो यह कहना मुश्किल है कि करारोपण कानून के दृष्टिकोण से होता है। करारोपण के किसी भी घटक को परिभाषित करने वाली विधायी योजना में कोई भी अनिश्चितता या अस्पष्टता इसकी वैधता के लिए घातक होगी।"

उपरोक्त से यह स्पष्ट है कि जिस दर पर कर लगाया जाना है वह कर का एक अनिवार्य घटक है और जहां दर निर्धारित नहीं है या इसे सटीकता के साथ लागू नहीं किया जा सकता है, वहां किसी व्यक्ति पर कर लगाना मुश्किल होगा। कर की इसी अवधारणा को सीआईटी बनाम बी.सी. श्रीनिवास शेर्टी [(1981) 2 एससीसी 460: 1981 एससीसी (टैक्स) 119: (1981) 128 आईटीआर 294] में निम्नलिखित तरीके से दोहराया गया था: (एससीसी पृष्ठ 465, पैरा 10)

"10. प्रत्येक मामले में प्रावधानों की संगणना का रूप आरोप की प्रकृति के संबंध का वहन करता है। इस प्रकार लागू धारा और संगणना प्रावधान मिलकर एक एकीकृत कोड बनाते हैं। जब कोई ऐसा मामला होता है जिस पर संगणना प्रावधान बिल्कुल भी लागू नहीं हो सकते हैं, तो यह स्पष्ट है कि इस प्रकार का मामला लागू धारा के अंतर्गत नियत नहीं होना था।

39.3 दर के बारे में निश्चितता के अभाव में, उस तारीख की अनिश्चितता के कारण जिसके संदर्भ में दर लागू की जानी है, यह नहीं कहा जा सकता है कि मौजूदा प्रावधान के अनुसार अघोषित आय के आधार पर ब्लॉक निर्धारण पर अधिभार लगाया जा सकता था। इसलिए, यह नहीं कहा जा सकता है कि उक्त तारीख को निश्चित करने के लिए धारा 113 में जोड़ा गया परंतुक केवल स्पष्टीकरण प्रकृति का था। अलग-अलग वर्षों में अधिभार की अलग-अलग दरों को दर्शाने वाली उपरोक्त सारणी से यह स्पष्ट होगा कि तारीख चुननी होगी क्योंकि कुछ वर्षों में, कोई अधिभार नहीं होगा।

40. प्रासंगिक रूप से, विभाग ने स्वयं इस तथ्य को अभिस्वीकृति किया और स्वीकार किया, जो इस बात से स्पष्ट है कि वर्ष 2001 में किसी समय आयोजित मुख्य आयुक्तों के सम्मेलन में इस मुद्दे पर बहस हुई थी। इस सम्मेलन में ब्लॉक निर्धारण के संबंध में प्रक्रियाओं और प्रावधानों के सरलीकरण और सुव्यवस्थीकरण से संबंधित कुछ प्रस्तावों पर ध्यान दिया गया। जिन लोगों

को इस प्रावधान को लागू करना था, उनके द्वारा सम्मेलन में की गई गड़बड़ी इस प्रावधान द्वारा पैदा की गई परेशानी के कारण बेबुनियाद नहीं थी और निम्नलिखित शर्तों में प्रस्तुत किए गए प्रस्तावों में व्यापक रूप से परिलक्षित होती है:

“ब्लॉक निर्धारण के मामले में, अधिभार लगाने के संबंध में दो समस्याएं हैं। पहली तो यह है कि धारा 113 में केंद्रीय अधिनियम का उल्लेख नहीं है। लागू धारा में किसी अन्य केंद्रीय अधिनियम के संदर्भ के अभाव में, अधिभार लगाने को उचित ठहराना मुश्किल हो जाता है। भले ही यह मान लिया जाए कि वित्त अधिनियम की धारा 113 का संदर्भ अधिभार लगाने के लिए पर्याप्त प्रमाण है, दूसरी समस्या यह है कि वित्त अधिनियम किसी विशेष निर्धारण वर्ष की आय पर आयकर की राशि पर अधिभार लगाता है जबकि ब्लॉक निर्धारण में ब्लॉक अवधि की अघोषित आय पर कर लगाया जाता है। ब्लॉक निर्धारण में एक विशिष्ट निर्धारण वर्ष का अभाव करारोपण को संदिग्ध बना सकता है। फिर भी एक और समस्या लागू अधिभार की दर है। उदाहरण के लिए, यदि तलाशी, मान लीजिए, 4-4 1996 को हुई थी, क्या अधिभार की दर निर्धारण वर्ष 1996-1997 या निर्धारण वर्ष 1997-1998 पर लागू मानी जाएगी, दोनों वर्षों के लिए अधिभार की दर अलग-अलग

होगी? धारा 113 के प्रावधान या वित्त अधिनियम के प्रावधान इस मुद्दे पर कोई मार्गदर्शन नहीं करते हैं।

सुझाव

उपरोक्त समस्या से संकेत मिलता है कि अघोषित आय पर अधिभार लगाना अनिश्चितता का विषय है और मुकदमेबाजी का खतरा है। इन परिस्थितियों में, यह सुझाव दिया जाता है कि जिस वित्तीय वर्ष में तलाशी पूरी हुई थी, उससे संबंधित निर्धारण वर्ष पर लागू दर पर अधिभार लगाने के लिए धारा 113 को पूर्वव्यापी रूप से संशोधित किया जा सकता है।” मुख्य आयुक्तों ने बिना किसी अनिश्चित शब्दों के इस स्थिति को स्वीकार कर लिया कि धारा 113 की भाषा के अनुसार, जैसा कि यह मौजूद था, अधिभार लगाने को उचित ठहराना मुश्किल था। यह भी माना गया कि भले ही धारा 113 अधिभार लगाने का अधिकार देती हो, चूंकि ब्लॉक निर्धारण कर ब्लॉक अवधि की अघोषित आय पर लगाया जाता है, ब्लॉक निर्धारण में विशिष्ट निर्धारण वर्ष की अभाव करारोपण को संदिग्ध बना देगा।

XXXXXXXXXXXX

44. वित्त अधिनियम, 2003, ने स्थिति को फिर से स्पष्ट किया है कि अघोषित आय के ब्लॉक निर्धारण के संबंध में अधिभार को भावी बनाया गया था। ऐसी शर्त वित्त

अधिनियम, 2003 की धारा 2 की उपधारा (3) के दूसरे परंतुक में निहित है। यह परंतुक इस प्रकार है:

"बशर्ते कि धारा 113 के प्रावधानों के अनुसार संगणित आयकर की राशि को संघ के प्रयोजनों के लिए अधिभार द्वारा बढ़ाया जाएगा जैसा कि वर्ष के वित्त अधिनियम की पहली अनुसूची के भाग III के, जैसा भी मामला हो, पैरा ए, बी, सी, डी या ई में प्रदान किया गया है जिसमें आयकर अधिनियम की धारा 132 के तहत तलाशी शुरू की गई है या धारा 132-ए के तहत अपेक्षा की गई है:"

वित्त अधिनियम, 2003 में इस परंतुक को जोड़ने से यह स्पष्ट हो जाता है कि ब्लॉक निर्धारण के मामलों में अधिभार प्रदान करने के लिए ऐसा प्रावधान आवश्यक था और इस तरह यह भावी प्रकृति का बन गया था। अधिभार के संबंध में शुल्क, धारा 113 में परंतुक के सम्मिलन द्वारा पहली बार बनाया गया है, स्पष्ट रूप से एक मूल प्रावधान है और इसलिए इसे संचालन में भावी माना जाना चाहिए। संशोधन का उद्देश्य न तो केवल स्पष्टीकरण देना है और न ही इसमें यह सुझाव देने के लिए कोई सार है कि यह संसद का उद्देश्य था। इसके अलावा, यह कहा जा सकता है कि कर निर्धारण कानून में किए गए संशोधन का उद्देश्य केवल कर निर्धारिती की

"कठिनाइयों" को दूर करना है, न कि विभाग की। इसके विपरीत, कर निर्धारिती पर पूर्वव्यापी शुल्क लगाने से अनुचित कठिनाई होती और इसी कारण से संसद ने विशेष रूप से परंतुक को 1-6-2002 से लागू करने का फैसला किया।

45. हमारे उपरोक्त विवेचन से यह भी स्पष्ट हो जाता है कि खंड न्यायापीठ का सुरेश एन. गुप्ता [सीआईटी बनाम सुरेश एन. गुप्ता, (2008) 4 एससीसी 362] में परंतुक को स्पष्टीकरण मानने और उसे पूर्वव्यापी प्रभाव देने का निष्कर्ष सही निष्कर्ष नहीं है। तदनुसार उक्त निर्णय को खारिज किया जाता है।”

9.1 विवादित निर्णय और आदेश पारित करते समय, उच्च न्यायालय ने सुरेश एन गुप्ता (पूर्वोक्त) के मामले में इस न्यायालय के पहले के निर्णय पर भरोसा किया है। हालांकि, इस न्यायालय द्वारा वाटिका टाउनशिप प्राइवेट लिमिटेड (पूर्वोक्त) के मामले में उक्त निर्णय को विशेष रूप से खारिज कर दिया गया है।

9.2 उपरोक्त को ध्यान में रखते हुए, आयकर की धारा 113 के परंतुक के अंतर्गत अधिभार लगाने के संबंध में कानून का प्रश्न कर निर्धारिती के पक्ष में और राजस्व के विरुद्ध माना जाता है। यह देखा गया और माना गया कि वर्तमान मामले में कर निर्धारिती आयकर अधिनियम की धारा 113 के परंतुक के

अंतर्गत अधिभार का भुगतान करने के लिए दायी नहीं है। उस हद तक, उच्च न्यायालय द्वारा पारित विवादित निर्णय और आदेश और आयकर अधिनियम की धारा 113 के परंतुक के अंतर्गत अधिभार के निर्धारण आदेश को अभिखंडित कर दिया जाना चाहिए और अपास्त किया जाना चाहिए।

10. अब जहां तक आयकर अधिनियम की धारा 158ख च क(1) के तहत कर निर्धारिती को अधिनियम की धारा 158ख ग के तहत कोई नोटिस दिए जाने के अभाव में ब्याज लगाने और 01.06.1999 से पहले की अवधि के लिए उक्त प्रावधान के तहत ब्याज का भुगतान करने की देयता का सवाल है, मुद्दे पर विचार करते समय ब्लॉक निर्धारण के लिए अध्याय XIV-बी जोड़ने के कारण पर विचार करना आवश्यक है। वाटिका टाउनशिप प्राइवेट लिमिटेड (सुप्रा) के मामले में अध्याय XIV-बी के कारण, उद्देश्य और उद्देश्य को इस न्यायालय द्वारा पर्याप्त रूप से निपटाया और विचार किया गया है। यह देखा गया है और माना गया है कि अध्याय XIV-बी जो ब्लॉक निर्धारण से संबंधित है, तलाशी किए गए मामलों के लिए एक विशेष प्रक्रिया निर्धारित करता है। अधिनियम में उक्त प्रावधानों को जोड़ने का मुख्य कारण कर चोरी पर अंकुश लगाना और ऐसे तलाशी किए गए

मामलों में निर्धारण को सरल बनाने के उसमें साथ-साथ तेजी लाना था। यह देखा और माना गया है कि अध्याय XIV-बी के तहत नई प्रक्रिया का सार तलाशी के परिणामस्वरूप पता चली "अघोषित आय" का एक अलग एकल निर्धारण है यह अलग निर्धारण उक्त अवधि को शामिल करने वाले सामान्य निर्धारण के अतिरिक्त होना चाहिए। इसलिए, ब्लॉक निर्धारण करने के लिए ब्लॉक अवधि के वर्षों को शामिल करने वाली एक अलग विवरणी एक पूर्व-आवश्यकता है। यह देखा और माना गया है कि अध्याय XIV-बी अपने आप में एक पूर्ण कोड है जो 10 साल या 6 साल की ब्लॉक अवधि, जैसा भी मामला हो, के लिए अघोषित आय के निर्धारण के लिए स्व-निहित तंत्र प्रदान करता है। पैरा 22 से 25 में, इसे निम्नानुसार देखा और माना गया है:

"अध्याय XIV-बी की योजना

22. इससे पहले कि हम इस प्रश्न का उत्तर देने के लिए आगे बढ़ें, 1-7-1995 से प्रभावी वित्त अधिनियम, 1995 के अध्याय XIV-बी में बनाई गई ब्लॉक निर्धारण की योजना को ध्यान में रखना आवश्यक होगा।

23. जैसा कि हमने पहले ही संक्षेप में उल्लेख किया है, अधिनियम का अध्याय XIV-बी जो ब्लॉक निर्धारण से संबंधित है, तलाशी के मामलों के लिए एक विशेष प्रक्रिया निर्धारित करता है। अधिनियम में इन प्रावधानों

को जोड़ने का मुख्य कारण कर चोरी पर अंकुश लगाना और ऐसे तलाशी के मामलों में निर्धारण को सरल बनाने के साथ-साथ उसमें तेजी लाना था:

23.1. अघोषित आय को अलग-अलग वर्षों से संबंधित किया जाना चाहिए जिसमें ब्लॉक निर्धारण के तहत आय अर्जित की गई थी। ऐसा इसलिए है क्योंकि ऐसे मामलों में “ब्लॉक अवधि” 10/6 निर्धारण वर्षों के अनुरूप पिछले वर्षों के बराबर होती है और इस मामले में मौजूदा पिछले वर्ष की अवधि से तलाश की तिथि 1-4-2000 से 17-1-2001 तक है। इसलिए, इस नई प्रक्रिया का सार, तलाशी के परिणामस्वरूप पता चली "अघोषित आय" का एक अलग एकल निर्धारण है और यह अलग निर्धारण उसी अवधि को शामिल करने वाले सामान्य निर्धारण के अतिरिक्त होना चाहिए। इसलिए, ब्लॉक निर्धारण करने के लिए ब्लॉक अवधि के वर्षों को शामिल करने वाली एक अलग विवरणी एक पूर्वावश्यकता है। उक्त प्रक्रिया के तहत, स्पष्टीकरण को धारा 158-बीबी में डाला गया है, जो कि संगणना अनुभाग है, जो ब्लॉक अवधि की "अघोषित आय" की संगणना के तरीके को समझाता है। अब यह अच्छी तरह से स्वीकृत है कि यह अध्याय अपने आप में एक संपूर्ण कोड है जो 10 साल या 6 साल की ब्लॉक अवधि, जैसा भी मामला हो, के लिए अघोषित आय के निर्धारण के लिए स्व-निहित तंत्र प्रदान करता है।

23.2. नियमित निर्धारणों के मामले में जिसके लिए विवरणी वार्षिक आधार पर दाखिल की जाती है, अधिनियम की धारा 4 लागू धारा है। हालांकि, आय पर किस दर से कर लगाया जाना है, यह संसद द्वारा हर साल वित्त अधिनियम में निर्दिष्ट किया जाता है। इसके विपरीत, जब ब्लॉक अवधि से संबंधित अघोषित आय पर कर के भुगतान की बात आती है, तो दर अधिनियम की धारा 113 में निर्दिष्ट है। यह अघोषित आय के 60% पर स्थिर रहता है जो अधिनियम की धारा 113 में स्पष्ट शर्त है। अधिनियम की धारा 158-बीए(2) स्पष्ट रूप से बताती है कि ब्लॉक अवधि से संबंधित कुल अघोषित आय पर पिछले वर्ष या वर्षों की परवाह किए बिना ब्लॉक अवधि की आय के रूप में धारा 113 के तहत निर्दिष्ट दरों पर "कर लगाया जाएगा"। अधिनियम की धारा 113 के तहत, अघोषित आय पर 60% की दर से कर लगाया जाता है।

24. उपरोक्त से, यह स्पष्ट हो जाता है कि अध्याय XIV-बी अघोषित आय से संबंधित ब्लॉक निर्धारण से संबंधित सभी पहलुओं का व्यापक रूप से ध्यान रखता है जिसमें धारा 156-बी. ए. (2) को लागू धारा के रूप में शामिल किया गया है और जिसमें धारा 156-बीए(2) चार्जिंग धारा के रूप में शामिल है और यहां तक कि जिस दर पर ऐसी आय पर कर लगाया जाना है वह अधिनियम की धारा 113 में उल्लिखित है। इसमें कोई संदेह नहीं है, अधिनियम की धारा 4 भी एक लागू धारा है

जिसे "पिछले वर्ष की कुल आय" पर लागू किया गया है। धारा 2(45) के अनुसार, "कुल आय" का अर्थ धारा 5 में निर्दिष्ट आय की कुल राशि है, जिसकी संगणना अधिनियम में निर्धारित तरीके से की गई है। इसमें वह सभी आय शामिल होगी जो किसी पिछले वर्ष भारत में किसी निवासी व्यक्ति द्वारा या उसकी ओर से प्राप्त की गई है या प्राप्त की गई मानी जाती है। इसमें कोई संदेह नहीं है, अध्याय XIV-बी में उल्लिखित अघोषित आय भी एक ऐसी आय है जो प्राप्त की गई थी लेकिन प्रकट नहीं की गई, इसलिए, पहली नज़र में, विभाग का तर्क है कि अध्याय XIV-बी में उल्लिखित अघोषित आय भी कुल आय का एक हिस्सा है और परिणामस्वरूप धारा 4 उसके संबंध में भी लागू धारा बन जाती है। हालांकि, थोड़ी बारीकी से छानबीन करने पर हम इस निष्कर्ष पर पहुंचें हैं कि अध्याय XIV-बी की योजना के अनुसार यह स्थिति नहीं है। सबसे पहले, धारा 5 में निर्दिष्ट आय किसी भी "पिछले वर्ष" की कुल आय की जानकारी देती है। अधिनियम की धारा 2(34) के अनुसार, "पिछले वर्ष" का अर्थ पिछले वर्ष से है जैसा कि धारा 3 में परिभाषित है। धारा 3 यह बताती है पिछले वर्ष का अर्थ है "निर्धारण वर्ष से ठीक पहले का वित्तीय वर्ष"। अध्याय XIV-बी में निर्दिष्ट अघोषित आय पिछले वर्ष से संबंधित नहीं है। इसके विपरीत, यह ब्लॉक अवधि के लिए है जो 6 वर्ष या 10 वर्ष, जैसा भी मामला हो, हो सकती है।

25. नतीजतन, जैसा कि पहले ही उल्लेख किया गया है, अध्याय XIV-बी की योजना का विश्लेषण करते समय, ऐसा अध्याय "अघोषित आय" के निर्धारण के संबंध में एक पूर्ण कोड है। यह न केवल परिभाषित करता है कि अघोषित आय क्या है, यह उस ब्लॉक अवधि को भी निर्धारित करता है जिसके लिए अघोषित आय पर कर लगाया जा सकता है। इसके अलावा, यह उस आय पर कर लगाने की प्रक्रिया भी निर्धारित करता है। इस स्तर पर यह नोट करना बहुत प्रासंगिक है कि इस उद्देश्य के लिए, धारा 158-बीए(2) के रूप में विशिष्ट प्रावधान शामिल किया गया है जिससे यह एक लागू धारा बन गया। इस प्रकार, अधिनियम के अध्याय XIV-बी के निदान से अनूठा निष्कर्ष निकलता है कि इसमें लागू धारा से लेकर निर्धारण पूरा होने तक सभी प्रावधान शामिल हैं, इसके संबंध में एक विशेष प्रक्रिया निर्धारित करके, इसे अपने आप में एक पूर्ण कोड बना दिया गया है। इस नजरिए से देखें तो अध्याय XIV-बी में निर्दिष्ट "अघोषित आय" का रूप और स्वरूप धारा 5 में निर्दिष्ट "कुल आय" से काफी अलग हो जाता है। यह देखना महत्वपूर्ण है कि अधिनियम में पहले से ही धारा 4 की प्रकृति के प्रावधान के होने के बावजूद, अघोषित आय का निर्धारण करने के लिए विशिष्ट रूप से एक अलग धारा प्रस्तुत की जाती है तो विधायिका के इस कदम के लिए कोई कारण बताना आवश्यक होगा अन्यथा धारा 158 ख क (2) के रूप में प्रावधान बनाने

की कोई आवश्यकता नहीं होती है। यह केवल यह हो सकता है कि अघोषित आय का निर्धारण करने के लिए, लागू प्रावधान केवल धारा 158-ख क (2) है।

10.1 इस प्रकार, विवरणी दाखिल करने आदि सहित ब्लॉक अवधि के लिए अघोषित आय के निर्धारण के संबंध में, आयकर अधिनियम की धारा 140 के तहत सामान्य निर्धारण कार्यवाही लागू नहीं होगी। इसलिए, कर निर्धारिती की ओर से यह प्रस्तुति कि 01.06.1999 से प्रभावी धारा 140क में "धारा 158ख ग" शब्दों को सम्मिलित करने के मद्देनजर 01.06.1999 से पहले की अवधि के लिए धारा 158ख च क के तहत ब्याज, प्रभार्य नहीं होगा, स्वीकार नहीं किया जा सकता है। इस स्तर पर, यह ध्यान दिया जाना आवश्यक है कि यह कर निर्धारिती की ओर से मामला है कि ब्याज केवल मूलधन के बाद आता है और इस मामले में मूलधन पर कर देय है, 01.06.1999 से पहले विवरणी के साथ कर का भुगतान करने की कोई देयता नहीं थी जिसे धारा 140क में "धारा 158ख ग" शब्दों को शामिल करके बनाया गया था और इसलिए यदि प्रासंगिक समय पर विवरणी के साथ कर का भुगतान करने की कोई देयता नहीं थी, तो ब्याज का भुगतान करने की देयता उत्पन्न नहीं हो सकता है, इसमें कोई सार नहीं है। इस स्तर पर, यह ध्यान देने की आवश्यकता है कि न

तो धारा 158ख ग और न ही धारा 158ख च क में कर निर्धारिती को विवरणी के साथ कर का भुगतान करने की आवश्यकता है। विवरणी के साथ कर जमा करने की देयता केवल धारा 140क के तहत बनती है। हालांकि, प्रासंगिक समय पर, धारा 140क धारा 158ख ग पर लागू नहीं होती थी और इसलिए विवरणी के साथ कर जमा करने की कोई देयता नहीं थी। उक्त कमी संसद द्वारा देखी गई और वित्त अधिनियम, 1999 द्वारा, 01.06.1999 से प्रभावी धारा 140क में "धारा 158ख ग" शब्द शामिल किए गए हैं। इसका मतलब यह नहीं है कि विवरणी देर से दाखिल करने की स्थिति में धारा 158ख च क के तहत ब्याज नहीं लगाया जाएगा। धारा 158ख ग के तहत विवरणी अध्याय XIV-बी के अनुसार दाखिल की जानी आवश्यक थी और विवरणी दाखिल करने में देरी पर, धारा 158ख च क(1) के तहत लगाए जाने वाले ब्याज का भुगतान करने की देयता होगी।

10.2 इस स्तर पर, खंडों पर टिप्पणियां और उक्त प्रावधान को स्पष्ट करने वाला ज्ञापन, जो (1999) 236 आईटीआर (एसटी) 141 और 187 में बताया गया है, उस पर विचार करने और पुनः प्रस्तुत करने की आवश्यकता है, जो इस प्रकार है:

“खंड 63 स्व-निर्धारण से संबंधित आयकर अधिनियम की धारा 140क में संशोधन करना चाहता है।

मौजूदा प्रावधानों के तहत, यदि धारा 142 या धारा 148 की धारा 139 के तहत दिए जाने वाले किसी विवरणी के आधार पर कोई कर देय है, कर निर्धारिती विवरणी देने से पहले अधिनियम के तहत देय ब्याज के साथ ऐसे कर का भुगतान करने के लिए दायी होगा और विवरणी के साथ ऐसे कर और ब्याज के भुगतान का प्रमाण संलग्न किया जाएगा।

यह उपलब्ध कराने का प्रस्ताव है कि धारा 158ख ग के तहत विवरणी दाखिल करने से पहले कोई भी व्यक्ति धारा 140क की उपधारा (1) में निहित प्रावधानों के अनुसार कर और ब्याज का भुगतान करने के लिए दायी होगा।

आगे यह प्रावधान करने का प्रस्ताव किया गया है कि धारा 158ख ग के तहत ब्लॉक निर्धारण किए जाने के बाद, धारा 140क की उपधारा (1) के तहत भुगतान की गई कोई भी राशि धारा 158ख ग के तहत ब्लॉक निर्धारण के लिए भुगतान की गई मानी जाएगी।

ये संशोधन 01.06.1999 से प्रभावी होंगे।”

इसके अलावा, प्रावधानों की व्याख्या करने वाला ज्ञापन इस प्रकार है,

“आयकर अधिनियम की धारा 140क के तहत, कर निर्धारिती को विवरणी में घोषित आय के आधार पर कर का भुगतान करना आवश्यक है और विवरणी देने से पहले इस तरह के कर का भुगतान करना आवश्यक है और विवरणी के साथ इस तरह के भुगतान का प्रमाण संलग्न करना आवश्यक है। धारा 140क के मौजूदा प्रावधान तलाशी और जब्ती मामलों में ब्लॉक अवधि की आय के निर्धारण से संबंधित अध्याय XIV-बी पर लागू नहीं होते हैं। विवरणी दाखिल करते समय स्व-निर्धारण कर के भुगतान के लिए अध्याय XIV-बी में कोई संबंधित प्रावधान भी नहीं है। इसलिए, निर्धारण पूरा होने तक विवरणी में घोषित स्वीकृत आय पर कर वसूल नहीं किया जा सकता है। उपरोक्त के मद्देनजर, तलाशी के मामलों के ब्लॉक निर्धारण से संबंधित धारा 158ख ग के तहत विवरणी दाखिल करते समय स्व-निर्धारण कर के भुगतान की आवश्यकता प्रदान करने के लिए आयकर अधिनियम की धारा 140क में संशोधन करने का प्रस्ताव है। इस प्रकार, खण्डों और ज्ञापन पर उपरोक्त टिप्पणियों को एक साथ पढ़ने पर, यह बहुत स्पष्ट है कि विधायिका का मूल उद्देश्य धारा 139 या धारा 142 या धारा 148 के तहत विवरणी दाखिल करते समय कर निर्धारिती को करों और ब्याज का भुगतान करने के लिए दायी बनाना था। संशोधन के आधार पर, विधायिका ने उन कर निर्धारिती को भी धारा 140क के तहत कर और ब्याज का भुगतान करने के

लिए दायी बनाने का प्रस्ताव रखा जो धारा 158ख ग के तहत विवरणी दाखिल कर रहे हैं। वित्त विधेयक के प्रावधानों की व्याख्या करने वाला ज्ञापन यह और स्पष्ट करता है कि धारा 140क के मौजूदा प्रावधान तलाशी और जब्ती मामलों में ब्लॉक अवधि की आय के निर्धारण से संबंधित अध्याय XIV-बी पर लागू नहीं थे। यह आगे मानता है कि निर्धारण पूरा होने तक विवरणी में घोषित स्वीकृत कर वसूल नहीं किया जा सकता है। इसलिए, विधायिका का उद्देश्य धारा 158ख ग को शामिल करके धारा 140क में संशोधन करने का था ताकि उन व्यक्तियों को भी दायी बनाया जा सके जो धारा 158ख ग के तहत विवरणी दाखिल कर रहे हैं। इस प्रकार, संशोधन के आधार पर, कर निर्धारिती के एक नए वर्ग को कानून-पुस्तक में लाया गया, जिनकी आय धारा 140क में अध्याय XIV-बी के तहत निर्धारण के अधीन है, जिससे उन्हें स्व-निर्धारण कर का भुगतान करने के लिए मजबूर होना पड़ा। इस प्रकार, धारा 158ख च क के तहत ब्याज विवरणी देर से या दाखिल न करने के लिए स्वतंत्र आधार पर लगाया जाता है, जो विवरणी दाखिल करने के दिन समाप्त हो जाता है। विवादित निर्णय और आदेश में, उच्च न्यायालय ने धारा 140क में धारा 158ख ग के बनने के पीछे के तर्क को विस्तृत और व्यापक रूप से समझाया है और विशेष रूप से यह देखा और माना है कि ब्याज के भुगतान की देयता केवल विवरणी दाखिल करने पर ही नहीं रुकती है, बल्कि धारा 140क के तहत

धारा के अनुसार कर भुगतान तक लागू होती है और अब भी धारा 158ख च क(1) और धारा 140क के प्रावधान स्वतंत्र रूप से संचालित होते हैं। हम उच्च न्यायालय द्वारा अपनाए गए दृष्टिकोण से पूरी तरह सहमत हैं।

10. 4 अब जहां तक कर निर्धारिती की ओर से मुख्य प्रस्तुति का सवाल है कि संबंधित कर निर्धारिती को धारा 158ख ग के तहत किसी भी नोटिस के अभाव में और वित्त अधिनियम, 2002 के माध्यम से धारा 158ख घ में "धारा 158ख ग" शब्दों को शामिल करने के मद्देनजर, धारा 158ख च क के तहत ब्याज का भुगतान करने का कोई देयता नहीं होगा, उपरोक्त प्रस्तुति बिल्कुल गलत है और यह तथ्यहीन है। यह ध्यान दिया जाना आवश्यक है कि वित्त अधिनियम, 2002 के माध्यम से धारा 158ख घ में संशोधन से पहले और उसके बाद भी, धारा 158ख ग के प्रावधान "तलाशी गए व्यक्तियों" के मामले में लागू होंगे। धारा 158ख घ "तलाशी लिए गए व्यक्तियों के अलावा" अन्य व्यक्तियों के मामले में लागू होगी। इसलिए, "तलाशी लिए गए व्यक्ति के अलावा" किसी व्यक्ति के मामले में, धारा 158ख ग के तहत कोई नोटिस जारी करने की आवश्यकता नहीं थी, जो "तलाशी लिए गए व्यक्तियों" के मामले में जारी किया जाना

आवश्यक था। तलाशी लिए गए व्यक्ति के अलावा" किसी अन्य व्यक्ति के लिए धारा 158ख घ के तहत नोटिस पर्याप्त है।

10.5 अब जहां तक कर निर्धारिती की ओर से प्रस्तुति का सवाल है कि वित्त अधिनियम, 2002 के माध्यम से धारा 158ख घ में "धारा 158ख ग के तहत" शब्द शामिल किए गए हैं और इसलिए, संशोधन से पहले धारा 158ख ग के तहत किसी भी नोटिस के अभाव में, धारा 158ख च क के तहत ब्याज का भुगतान करने का कोई दायित्व नहीं होगा, वित्त विधेयक, 2002 के खंड 64 से जुड़े खंडों पर नोट्स का अवलोकन करने से ऐसा प्रतीत होता है कि यह स्पष्ट प्रकृति का है।

वित्त विधेयक 2002 के खंड 64 में यह प्रावधान है कि:-

"आयकर अधिनियम की धारा 158ख घ में, "वह कर निर्धारण अधिकारी आगे बढ़ेगा" शब्दों के बाद, "धारा 158ख ग के तहत" शब्द, अंक और अक्षर डाले जाएंगे और 1 जून, 2002 से प्रभावी होंगे।

वित्त विधेयक 2002 के खंड 64 के साथ संलग्न खंडों पर टिप्पणियों में निम्नलिखित कहा गया है:-

"यह कर निर्धारण अधिकारी आगे बढ़ेगा" शब्दों के बाद "धारा 158ख ग के तहत" शब्द डालने का प्रस्ताव है ताकि यह स्पष्ट किया जा सके कि कर

निर्धारण अधिकारी धारा 158ख ग के तहत ऐसे अन्य व्यक्ति के खिलाफ कार्रवाई करेगा।

10.6 इस स्तर पर, यह ध्यान दिया जाना आवश्यक है कि जैसा कि वाटिका टाउनशिप प्राइवेट लिमिटेड (पूर्वोक्त) के मामले में इस न्यायालय द्वारा देखा गया है, अध्याय XIV-बी तलाशी और जब्ती मामलों में ब्लॉक अवधि के लिए आय की संगणना के लिए एक विशेष प्रक्रिया निर्धारित करता है। धारा 158ख घ उस व्यक्ति के अलावा जिसके संबंध में तलाशी ली गई थी किसी अन्य व्यक्ति के मामले में लागू होगी। जैसा कि देखा गया अध्याय XIV-बी अपने आप में एक पूर्ण कोड है जो ब्लॉक अवधि के लिए अघोषित आय के निर्धारण के लिए स्व-निहित तंत्र प्रदान करता है। इसलिए, तलाशी लिए गए व्यक्ति के अलावा अन्य व्यक्ति के मामले में धारा 158ख घ के तहत नोटिस आवश्यक/पर्याप्त होगा और धारा 158ख ग के तहत विवरणी देर से दाखिल करने के मामले में, धारा 158ख च क के तहत ब्याज लगाया जाएगा। कोई भी अन्य व्याख्या धारा 158ख घ को निरर्थक बना देगी। यह देखा जा सकता है कि धारा 158ख घ में "धारा 158ख ग के तहत" शब्द डालने से, संसद का उद्देश्य यह स्पष्ट करना था कि तलाशी लिए गए व्यक्तियों के अलावा अन्य व्यक्तियों के मामले में ब्लॉक अवधि के लिए निर्धारण भी

आयकर अधिनियम की धारा 158ख ग के तहत प्रक्रिया के अनुसार होगा। इस स्तर पर, यह ध्यान दिया जाना आवश्यक है कि वर्तमान मामले में जैसे कि मेसर्स खोडे इंडिया लिमिटेड, और मेसर्स खोडे ब्रुअरीज लिमिटेड – जिन व्यक्तियों की तलाशी ली गई उन्हें धारा 158ख ग के तहत नोटिस जारी किया गया था और के.एल.स्वामी, जो कि "अन्य व्यक्ति" हैं, के मामले में धारा 158ख घ के तहत नोटिस जारी किया गया है।

10.7 इसलिए, कर निर्धारिती की ओर से यह प्रस्तुति कि वित्त अधिनियम, 2002 के तहत धारा 158ख घ में संशोधन से पहले की अवधि के लिए तलाशी किए गए व्यक्तियों के अलावा कर निर्धारिती-व्यक्तियों को धारा 158ख ग के तहत किसी भी नोटिस के अभाव में, धारा 158ख च क के तहत ब्याज का भुगतान करने का कोई देयता नहीं होगी, इसका कोई सार नहीं है और इसे अस्वीकार करना आवश्यक है और उक्त प्रश्न का उत्तर राजस्व के पक्ष में और कर निर्धारिती के विरुद्ध दिया जाना आवश्यक है।

11. उपरोक्त के मद्देनजर और ऊपर बताए गए कारणों से, वर्तमान अपीलें आंशिक रूप से सफल हुई हैं। यह देखा और माना गया है कि संबंधित कर निर्धारिती आयकर अधिनियम की धारा 113 के परंतुक के अंतर्गत अधिभार का भुगतान करने के लिए

दायी नहीं हैं। उच्च न्यायालय द्वारा पारित विवादित निर्णय और आदेश को उपरोक्त सीमा तक संशोधित किया जाना आवश्यक है। जहां तक आयकर अधिनियम की धारा 158ख ग के तहत विवरणी देर से दाखिल करने पर आयकर अधिनियम की धारा 158ख च क के तहत ब्याज का भुगतान करने की देयता का सवाल है, तलाशी लिए गए व्यक्तियों के अलावा कर निर्धारिती-व्यक्तियों पर धारा 158ख ग के तहत किसी भी नोटिस के अभाव में, उक्त प्रश्न राजस्व के पक्ष में और कर निर्धारिती के खिलाफ माना जाता है। उच्च न्यायालय द्वारा पारित विवादित निर्णय और आदेश की एतद्द्वारा पुष्टि की जाती है और यह देखा और माना जाता है तलाशी लिए गए व्यक्तियों के अलावा अन्य कर निर्धारिती-व्यक्ति आयकर अधिनियम की धारा 158ख ग के तहत नोटिस के अभाव में और यहां तक कि 01.06.1999 से पहले की अवधि के लिए भी धारा 158ख ग के तहत देर से विवरणी दाखिल करने पर ब्याज का भुगतान करने के लिए दायी होंगे। उस हद तक, उच्च न्यायालय द्वारा पारित विवादित निर्णय और आदेश की पुष्टि की जाती है। उपरोक्त के अनुसार वर्तमान अपीलों का निपटारा किया जाता है। लागत के संबंध में कोई आदेश नहीं दिया जाएगा।

निधिजैन

अपीलों को आंशिक रूप से अनुमति दी गई।
(तमन्ना, एलसीआरए द्वारा सहायता प्राप्त)

(Translation has been done through AI Tool: SUVAS)

अस्वीकरण : देशी भाषा में निर्णय का अनुवाद मुकद्दमेबाज़ के सीमित प्रयोग हेतु किया गया है ताकि वो अपनी भाषा में इसे समझ सकें एवं यह किसी अन्य प्रयोजन हेतु प्रयोग नहीं किया जाएगा। समस्त कार्यालयी एवं व्यावहारिक प्रयोजनों हेतु निर्णय का अंग्रेज़ी स्वरूप ही अभिप्रमाणित माना जाएगा और कार्यान्वयन तथा लागू किए जाने हेतु उसे ही वरीयता दी जाएगी।